

310

186

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर ॥ म. प्र. ॥

मिठारानी 306-III-15



C.F.
RS. 20

महेश सिंह

14-01-15

म
र
क

1. राज प्रताप राम उर्फ मुनाई प्रसाद ब्रा. तनय स्वर्गीय हीरालाल ब्रा०पेशा खेती
2. चन्द्र प्रताप राम तनय स्वर्गीय हीरालाल राम ब्रा. पेशा खेती
3. मुसम्मामत फूलकुमारी विधवा पत्नी गिरिजाराज ब्रा० पेशा खेती
4. घनश्याम प्रसाद तनय स्वर्गीय गिरिजा राम ब्रा. पेशा खेती
5. लक्ष्मीकान्त तनय स्वर्गीय गिरिजा राम ब्रा. पेशा खेती
6. रामकान्त तनय स्वर्गीय गिरिजा राम ब्रा. पेशा खेती
7. मा निन्द प्रसाद तनय स्वर्गीय गिरिजाराज ब्रा. पेशा खेती
8. राजाराम तनय स्वर्गीय अक्छे प्रसाद ब्रा. पेशा खेती
9. बालेश्वर प्रसाद तनय स्वर्गीय अक्छे प्रसाद ब्रा.
10. रामनरेश तनय स्वर्गीय अक्छे प्रसाद ब्रा.
11. चन्द्रदेव तनय स्वर्गीय अक्छे प्रसाद

सभी निवासी ग्राम बरहट, थाना व तहसील चितरंगी, जिला सिंगरौली

॥म.प्र.॥

आवेदक गण

बनाम

1. मुसम्मामत दुर्धिया विधवा स्वर्गीय जानकी राम ब्रा.
2. रजकीलया विधवा स्वर्गीय बैजनाथ राम ब्रा.
3. सन्त कुमार राम ब्रा. तनय स्वर्गीय बैजनाथ राम ब्रा.
4. मंगला प्रसाद तनय स्वर्गीय बैजनाथ राम ब्रा.
5. महेश प्रसाद तनय स्वर्गीय बैजनाथ राम ब्रा.
6. शिव शंकर उर्फ शंकरराम ब्रा. तनय स्वर्गीय बैजनाथ राम ब्रा.

सभी निवासी ग्राम बरहट, थाना व तहसील चितरंगी, जिला सिंगरौली

॥म.प्र.॥

अनावेदक गण

7. मध्य प्रदेश शासन

..2..

राज. प्र. न. ल.

पुनरीक्षण विरुद्ध आदेश न्यायालय तहसीलदार
चितरंगी जिला सिंगरौली राजस्व प्रकरण 14A-
19४४ 87x88 आदेश दिनांक 21.9.87 जिसके
द्वारा ग्राम बरहट तहसील चितरंगी जिला -
सिंगरौली को आराजी पुराना खसरा नम्बर
156/1 के जुज रकवा 2.023 हे० के वावतु अनावेदिका
क्रमांक 1 के पुत्र तथा अनावेदिका क्रमांक 2 के
पति तथा अनावेदक क्रमांक 3 से 7 के पिता स्वर्गीय
बेजनाधराम पिता जानकी राम को भूमिहीन
मानक म.प्र.कृषि भूमि प्रयोजन हेतु उपभोग की
जा रही दखलरहित भूमि पर भूमिस्वामी अधिकारों
का प्रदान किया जाना ॥ विशेष उपबंध ॥ अधिनियम
1984 के अन्तर्गत भूमिस्वामी अधिकार प्रदान किया
गया है।

पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं. 1959

मान्यवर,

निम्नलिखित तथ्यों एवं आधारों पर पुनरीक्षण प्रस्तुत है:-

1. यह कि ग्राम बरहट तहसील चितरंगी जिला सिंगरौली स्थित आराजी
पुराना खसरा नम्बर 156/1 शासकीय भूमि थी जिसका क्षेत्रफल काफी बड़ा
था। उक्त आराजी के लगभग 5.00 एकड़ भू भाग पर आवेदक क्रमांक 1 व 2 का
तथा लगभग 5.00 एकड़ भू भाग पर आवेदिका क्रमांक 3 के पति तथा आवेदिका
क्रमांक 4 से 7 के पिता स्वर्गीय गिरिजाराज तथा लगभग 7-8 एकड़ पर आवेदक
क्रमांक 8 से 11 के पिता अयोध्या प्रसाद का कब्जा दखल चला आ रहा था। उक्त
आराजी पुराना खसरा नम्बर 156 के पश्चिमी सीमा से उत्तर दक्षिण दिशा
में एक नाला बहता रहा है जिस नाले के किनारे किनारे पूर्वी भाग पर
आवेदक गण का पुश्तैनी कब्जा दखल चला आ रहा है। उक्त आराजी के उक्त
रकबत पर पहले आवेदक क्रमांक 1 व 2 के पिता हीरालाल का विजय तथा
हीरालाल की मृत्यु के बाद आवेदक क्रमांक 1 व 2 कब्जा दखल चला आ रहा है।
इसी प्रकार से आराजी पुराना खसरा नम्बर 156 के जुज रकवा 2.023 हे०
पर अपने जीवनकाल तक आवेदिका क्रमांक 3 के पति तथा आवेदक क्रमांक 4 से

.....3..

राजपट्टी

186

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक गि० 306/III/15 जिला सिगरौली

राजप्रताप विरुद्ध मुठ दुर्गावध्या

1	2	3
16-1-19-	<p>1. आवेदक की ओर से श्री <u>महेन्द्र सिंह</u> अधिवक्ता द्वारा यह नामब तहसीलदार तहसील <u>सिगरौली</u> के प्रकरण क्रमांक <u>14/3719(4)/1987-88</u> में पारित आदेश दिनांक <u>21.09.87</u> के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर <u>सिगरौली</u> के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक <u>25.03.19</u> को कलेक्टर <u>सिगरौली</u> के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो।</p> <p style="text-align: right;"><u>[Signature]</u> सदस्य</p>	

[Handwritten notes]

7. म.प्र. शासन अनावेदक गण

[Signature] ••2••

राज प्रताप